

21/6/13

संख्या: फत्तली वापस लोक अदालत / कैम्प कोर्ट  
रामगढ में पेवा दुर्ग वल शर्मा वल  
फत्तली का व्यापक कालिका विमा गया  
आपन से सम्बन्धित मूल आपन का. धारा  
212 R.T कल विमा गया / शर्मा का  
सद कटना रही है कि शर्मा के अचिकक  
की मोहन तिवाड़ी का दिनांक 30.4.15  
को विषय है गया, मिसवी कल से  
वह किंग 6/5/15 को कोर्ट में उपस्थित  
नहीं हो सका। किता न्यायिक में शर्मा  
का शर्मा पर का. का. 9 नियम 9 CPC  
स्वीकार विमा भाकल मूल शर्मा पर  
का. धारा 212 R.T सेट पुनः नम्बर  
पर लिमा जाता है पत्रावली केंद्रल  
सुमा. लोक नम्बर में का. है।  
दियेक कल है।

उपखण्ड अधिकारी  
रामगढ रोडावाटी (सीकर)  
लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018  
ग्राम पंचायत - रामगढ